न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोद कुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 901/दावा/2017
(पूर्व मि0नं0 740/13)
दायरा 25/09/2013

उनवान

भंवरसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह जाति राजपूत नि0 नयागांव अहेडियान तह0 खानपुर
— वादीगण

बनाम्

1. भंवरसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी नयागांव ठाकुरान तह0 खानपुर
2. घनश्याम पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी नयागांव ठाकुरान तह0 खानपुर
3. रणजीतसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत नि0 नयागांव ठाकुरान तह0 खानपुर
4. सुलतानबाई बेवा शंकरसिंह जाति राजपूत नि0 नयागांव ठाकुरान तह0 खानपुर
5. मोहनबाई पुत्री शंकरसिंह जाति राजपूत निवासी नयागांव ठाकुरान तह0 खानपुर
6. प्रेमबाई पुत्री शंकरसिंह जाति राजपूत निवासी नयागांव ठाकुरान तह0 खानपुर
7. भंवरबाई पुत्री शंकरसिंह जाति राजपूत निवासी नयागांव ठाकुरान तह0 खानपुर
8. कमलकुमार पुत्र हरीशचंद्र जाति राजपूत निवासी नयागांव ठाकुरान तह0 खानपुर
9. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार खानपुर

— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितः— श्री ओमप्रकाश धनौलिया एडवोकेट –वादी

निर्णय

दिनांक 13/11/2019

वाद–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने जर्ये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम बैसार की जमाबंदी सं0 2020–23 की खाता सं0 196 पर 2026/333, 396 की 1.15 बीघा, 2027/333–396 की 1.08 बीघा, 1292/333 की 7.04 बीघा, 1893/333 की 2.01 बीघा, 1696/388–389 की 17.07 बीघा, 2039/388 की 3.05 बीघा, 1471/344 की 0.11 बीघा, 303 की 8.10 बीघा 8 किता की 42.01 बीघा लक्ष्मणसिंह पुत्र कान्हसिंह जाति राजपूत निवासी नयागांव ठाकुरान के खाते एवं कब्जे काश्त की थी। लक्ष्मणसिंह की मृत्यु 1969 में सेटलमेंट से पहले हो गयी थी, लेकिन फौती इंतकाल तस्दीक नहीं हुआ। ग्राम पंचायत सूमर ने लक्ष्मणसिंह का इंतकाल नं0 96 दि0 23.10.73 को वारीसान 3 पुत्र लालसिंह, धनसिंह, शंकरसिंह के नाम तस्दीक किया है। तीनों वारीसान ने आपस में मिल बैठकर मौखिक पारिवारिक समझौता कर लिया तथा धनसिंह के हिस्से में ख0नं0 1696/388–389 की 17.07 बीघा में से दक्षिणी दिशा वाली 13 बीघा आराजी आयी। धनसिंह ने अपने हिस्से में आने वाली आराजी पर

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

दिशा वाली 13 बीघा आराजी आयी। धनसिंह ने अपने हिस्से में आने वाली आराजी पर कब्जा प्राप्त किया वो उस पर काश्त की। धनसिंह ने अपने हिस्से में आने वाली आराजी ख0नं0 1696/388–389 की 17.07 बीघा में से 7.00 बीघा आराजी दक्षिण दिशा वाली 1200/– रू0 में वादी को बैचान करके रजिस्ट्री वादी के हक में करवाकर कब्जा दे दिया। इस कय शुद्धा आराजी पर वादी का बैचान की तारीख से आज तक कब्जा बिना किसी रूकावट के ऐलानिया चला आ रहा है। इस वर्ष भी वादी ने खरीफ में सोयाबीन की फसल बोई है। असल विकय पत्र दि0 19.02.1971 संलग्न है। वादी को ज्ञान नहीं होने के कारण खरीदी गयी आराजी का नामान्तकरण तस्दीक नहीं हो सका। इस दौरान खानपुर तहसील में सेटलमेंट आ गया वो सेटलमेंट के पश्चात भी वादी व्दारा खरीदी गई आराजी लक्ष्मणसिंह के तीनों पुत्रों के नाम दर्ज कर दी। साविक आराजी ख0नं0 1696/388–389 की 17.07 बीघा का नया नं0 1538 रकबा 14.06 बीघा बना है। आराजी का जब बैचान हुआ तब संयुक्त खातेदार लालसिंह, शंकरसिंह ने कोई आपत्ति नहीं की तथा इस तथ्य को भली भांति जानते थे कि इस 7.00 बीघा दक्षिण दिशा वाली आराजी का बैचान वादी को किया गया है तथा कब्जा दे दिया है। आराजी पर काश्त करने पर लालसिंह व शंकरसिंह ने कभी कोई आपत्ति नहीं की। खातेदार लालसिंह व शंकरसिंह फौत हो गये हैं इनके वारीसान को वाद में पक्षकार बनाया गया है। प्रति0 नं0 8 कमलकुमार का कब्जा ख0नं0 333 की 1.10 बीघा, 356 की 0.15 बीघा, 374 की 1.11 बीघा, 376 की 0.11 बीघा, 381 की 3.01 बीघा पर है। खातेदारों का इस आराजी पर कब्जा नहीं है। बैनामें का इंतकाल नहीं खुलने के कारण प्रति0 नं0 8 कमल अन्य प्रतिवादीगण के साथ मिलकर बैचान की आड़ में वादी व्दारा खरीदी गयी आराजी ख0नं0 375 रकबा 14.06 बीघा में से 7.00 बीघा दक्षिण दिशा वाली पर कब्जा करने पर आमादा है। खातेदार लालसिंह, शंकरसिंह,धनसिंह की मृत्यु के पश्चात आराजी उनके उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज की गयी है। धनसिंह के कोई औलाद व पत्नि नहीं होने से उसके खाते की आराजी उसके भाईयों के बेटों के नाम दर्ज कर दी गई है। प्रति0 1 लगा0 7 ने ख0नं0 1538 की 14.06 बीघा आराजी प्रति0 कम 8 को बैचान कर रजिस्ट्री करवा दी, जबकि केता कमल कुमार को यह ज्ञान था कि इसमें से 7.00 बीघा आराजी का पूर्व में वादी को बैचान हो चुका है, इसके बाद प्रति0 नं0 8 ने यह आराजी खरीदी है। इस विकय के बाद कमलकुमार का नाम आराजी ख0नं0 1538 की 14.06 बीघा में दर्ज हो गया, किन्तु कमलकुमार का इस आराजी पर कब्जा नहीं है। कब्जा वादी का ही चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने पूर्व में बैचान हो चुकी आराजी का पुनः बैचान किया है जो अवैद्ध व शून्य है, जिसका वादी के काश्तकारी अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। यह आराजी पहले ग्राम बैसार में थी तथा ग्राम नयागांव ठाकरान ग्राम बैसार में सम्मिलित था, लेकिन राज्य सरकार के आदेश से ग्राम बैसार से ग्राम नयागांव ठाकरान अलग कर दिया गया तथा ख0नं0 1538 रकबा 14.06 बीघा का नया नम्बर 375 रकवा 14.06 बीघा दर्ज किया गया। नकल जमाबंदी सं0 2052–55 पेश है। इसी जमाबंदी में प्रति0नं0 8 के नाम ख0नं0 1538 की 14.06 बीघा का इंतकाल प्रतिवादी नं0 8 के नाम दर्ज करने का अंकन है। जब प्रति0 8 ने आराजी को खरीदा उस वक्त भी प्रतिवादी नं0 8 यह जानता था कि इस आराजी में से लगभग 7.00 बीघा आराजी वादी को बैचान की हुई है तथा कब्जा वादी का है, फिर भी उसने इस आराजी को खरीद लिया। प्रति0 1, 2, 3 ने करीब 8 माह पूर्व वादी के खाते व कब्जे की आराजी पर आये तथा वादी को आराजी से बेदखल करने की धमकी देने लगे तथा प्रतिवादीगण ने पुलिस से मिलकर एक झूँठा मुकदमा भी वादी के विरूद्ध पुलिस थाना खानपुर दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

करवा दिया ताकि वादी डरकर आराजी का कब्जा प्रतिवादीगण को देदे। वादी दि0 19.02.1971 से ही उसके व्दारा खरीदी गयी आराजी का कानूनी रूप से खातेदार टीनेंट हो गया है लेकिन जमाबंदी में नाम नही होने के कारण प्रतिवादीगण, वादी को परेशान कर रहे है तथा गैर कानूनी रूप से वादी को आराजी से बेदखल करना चाहते है। आराजी पर वादी का पिछले 42 वर्षों से लगातार बिना किसी रूकावट के ऐलानिया शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। वाद का कारण दि0 05.09.13 को उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वाद, वादी मय खर्चा प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री फरमाया जावे कि आराजी पुराना ख0नं0 1696/388–389 रकबा 17.07 बीघा ग्राम बैसार, आराजी का पुराना ख0नं0 1538 की 14.06 बीघा तथा ग्राम नयागांव ठाकरान की ख0नं0 375 की 14.06 बीघा में से दक्षिण दिशा वाली 7.00 बीघा आराजी का वादी को खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे और तद्नूसार वादी को आराजी का संयुक्त खातेदार घोषित किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण 1 लगा0 8 को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वो आराजी ख0नं0 375 की 7.00 बीघा दक्षिण दिशा वाली में बेजा मदाखलत व बेजा मजाहगत नहीं करें और वादी को आराजी से गैर कानूनी रूप से बेदखल नहीं करें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रति0नं0 9 के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर इसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण 1 लगा0 8 की ओर से श्री बृजसुन्दर शर्मा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाबदावा का अवसर चाहा गया किन्तु दिनांक 23.10.13 से 20 से भी अधिक अवसर के बाद भी जवाबदावा पेश नहीं किये जाने से प्रतिवादीगण का जवाबदावा बंद किया गया तथा अधिवक्ता वादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में वादी भंवरसिंह, गवाह भंवरसिंह, कजोड़ के बयान दर्ज कराये एवं दस्तावेज Exp1 लगा0 Exp1 प्रदर्श कराये गये। वहीं दिनांक 07.03.2019 को प्रतिवादी एवं उनके अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। तत्पश्चात अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी एक पक्षीय बहस में वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम बैसार में खाता सं0 196 पर 8 किता की 42.01 बीघा लक्ष्मणसिंह पुत्र कान्हसिंह जाति राजपूत निवासी नयागांव ठाकुरान के खाते की थी। इसकी मृत्यु पर इंतकाल नं0 96 दि0 23.10.73 को इसके 3 पुत्रों लालसिंह, धनसिंह, शंकरसिंह के नाम तस्दीक हुआ है। इनके बीच पारिवारिक समझौते के अनुसार धनसिंह के हिस्से में ख0नं0 1696/388–389 की 17.07बीघा में से दक्षिणी दिशा वाली 13 बीघा आराजी आयी। धनसिंह ने दि0 19.02.1971 को अपने हिस्से में आने वाली आराजी ख0नं0 1696/388–389 की 17.07 बीघा में से 7.00 बीघा आराजी दक्षिण दिशा वाली 1200/– रू0 में वादी को बैचान करके रजिस्ट्री वादी के हक में करवाकर कब्जा दे दिया। सेटलमेंट होने पर इस आराजी के नये नं0 1538 रकबा 14.06 बीघा बने हैं तथा राज्य सरकार के आदेश से ग्राम बैसार से ग्राम नया गांवठाकुरान अलग करने पर इस आराजी का नया नम्बर 375 रकबा 14.06 बीघा बना है। खातेदार लालसिंह, धनसिंह, शंकरसिंह के फौत हो जाने पर यह आराजी प्रति0नं0 1 लगा0 7 के खाते दर्ज हुयी है। प्रति0 8 को उक्त आराजी के पूर्व में बैचान का ज्ञान होने के बाद भी प्रति0 नं0

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

1 लगा0 7 ने इसका बैचान पुनः प्रति0 नं0 8 को कर दिया किन्तु प्रति0नं0 8 का इस आराजी पर कब्जा नहीं है। इस आराजी पर कय दिनांक से आज तक बिना किसी रूकावट के वादी का ऐलानिया कब्जा चला आ रहा है। इस वर्ष भी वादी ने खरीफ में सोयाबीन की फसल बोई है। प्रति0 नं0 8 इस गैर कानूनी बैचान के आधार पर वादी को अपनी कय शुद्धा आराजी से जबरन बेदखल करना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। वादी ने सहःखातेदार से पंजीकृत बैनामें से आराजी कय कर कब्जा आराजी प्राप्त किया है। हमने राजस्व रेकार्ड की नकलें पेश की हैं तथा गवाहान के बयान कराये है, जिससे हमारा दावा साबित है। वहीं प्रतिवादीगण ने पर्याप्त अवसर के बाद भी न तो जवाबदावा पेश किया है, न कोई साक्ष्य पेश किया है और न्यायालय में भी उपस्थित नहीं हुये हैं, जिससे इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही हुई है। इससे भी यही प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण को हमारे वाद पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः हमारा दावा डिकी करें तथा वादी को ग्राम नयागांव ठाकरान की ख0नं0 375 की 14.06 बीघा में से दक्षिण दिशा वाली 7.00 बीघा आराजी का वादी को खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया एवं विद्धान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। Exp1 ग्राम बैसार जमाबंदी सं0 2020–23 है जिसमें खाता सं0 196 पर 8 किता की 42.01 बीघा लक्ष्मणसिंह पुत्र कान्हसिंह जाति राजपूत निवासी नयागांव ठाकुरान के खाते दर्ज है। Exp2 मृतक खातेदार लक्ष्मणसिंह का फौती इंतकाल नं0 96 दि0 23.10.73 है, जो मृतक के 3 पुत्रों लालसिंह, धनसिंह, शंकरसिंह के नाम तस्दीक हुआ है। Exp3 पंजीकृत बैनामा दिनांक 19.02.1971 है, जिसके अनुसार धनसिंह ने दि0 19.02.1971 को अपने हिस्से में आने वाली आराजी ख0नं0 1696/388–389 की 17.07 बीघा आराजी में से 7.00 बीघा दक्षिण दिशा वाली 1200/– रू0 में वादी को बैचान करके रजिस्ट्री वादी के हक में करवाकर कब्जा दिया है। Exp4 सेटलमेंट द्वारा तैयार किया गया ग्राम बैसार का मिलान खसरा है, जिसके अनुसार साबिक ख0नं0 1696/388–389 की 17.07 बीघा ने के नये नं0 1538 रकबा 14.06 बीघा बने हैं तथा Exp5 जमाबंदी सं0 2035–38 में खाता सं0 257 पर 9 किता की 41.15 बीघा के मिन्जुमले लालसिंह, धनसिंह, शंकरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह कौम राजपूत के खाते दर्ज हुई है। Exp6 जमाबंदी सं0 2052–55 खाता सं0 73 ग्राम नयागांव ठाकरान की 8 किता रकबा 33.14 बीघा की है, जो राज्य सरकार के आदेश से ग्राम बैसार से ग्राम नया गांवठाकुरान अलग होने पर बनी है तथा इसके अनुसार पूर्व ख0नं0 1538 रकबा 14.06 बीघा का नया खसरा नम्बर 375 रकबा 14.06 बीघा बना है तथा यह खातेदार भैरूसिंह, रणजीतसिंह पुत्र लालसिंह हि0 1/3, धनसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह हि0 1/3, सुलतानबाई बेवा शंकरसिंह मोहनबाई, प्रेमबाई, भंवरबाई पुत्रियां शंकरसिंह हि0 1/3 हि0ब0 से खाते दर्ज है, जो प्रति0नं0 1 लगा0 7 है। Exp7 ग्राम बैसार का नामा0सं0 717 है जिससे खातेदार धनसिंह के लाऔलाद फौत होने पर खाते से नाम खारिज हुआ है। Exp8 ग्राम बैसार का नामा0 सं0 727 है, जिसमें खातेदारान द्वारा दि0 12.06.96 को ख0नं0 1538 रकबा 14.06 बीघा आराजी का जर्ये रजिस्टर्ड बैनामा से बैचान होने पर केता कमलकुमार पुत्र हरिशचंद्र जाति महाजन निवासी खानपुर के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ है। Exp10 जमाबंदी सं0 2068–71 ग्राम नयागांव ठाकुरान की खाता सं0 16 है जिसमें 6 किता की 25.15 बीघा आराजी के मिन्जुमले ख0नं0 375 की 14.05 बीघा आराजी कमलकुमार पिता हरीशचंद्र जैन(महाजन) निवासी खानपुर के खाते दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जब खातेदार ग्राम बैसार की साबिक ख0नं0 1696/388–389 नये ख0नं0 1538 की 17.07 बीघा तथा ग्राम नयागांव ठाकरान की ख0नं0 375 की 14.06 बीघा आराजी में से 7.00 बीघा दक्षिण दिशा वाली आराजी का 1200/– रू0 में दिनांक 19.02.1971 वादी भंवरसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह को बैचान करके रजिस्ट्री वादी के हक में करवाकर आराजी का कब्जा दे चुके हैं और इस आराजी में से अपना अधिकार समाप्त कर चुके थे तो खातेदारान को दि0 12.06.96 को ख0नं0 1538 रकबा 14.06 बीघा हाल ख0नं0 375 रकबा 14.05 बीघा आराजी ग्राम नयागांव ठाकरान का श्यामलकुमार महाजन को पुनः बैचान करने का कोई अधिकार नहीं था और यह बैचान वादी/पूर्व क्रेता के अधिकारों की सीमा तक प्रारंम्भतः ही शून्य है। प्रतिवादीगण ने पर्याप्त अवसर के बाद भी जवाबदावा पेश नहीं किया है और जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये हैं। इससे भी यही प्रकट होता है कि यह वादी के वाद से सहमत हैं। वहीं वादी ने अपने वाद के समर्थन में स्वंय एवं गवाहान भंवरसिंह पुत्र रघुनाथसिंह राजपूत उम्र 75 वर्ष, कजोड़ पुत्र फत्ता बैरवा उम्र 74 वर्ष के बयान कराये हैं तथा राजस्व रेकार्ड की नकलें पेश की हैं, जिनसे वादी का वाद बखूबी साबित है। ऐसे में वादी कय शुद्धा आराजी को अपने खाते दर्ज कराने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वाद, वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम नयागांव ठाकुरान की जमाबंदी सं0 2068–71 की खाता सं0 16 की 6 किता रकबा 25.15 बीघा में स्थित ख0नं0 375 रकबा 14.06 बीघा में से दक्षिण दिशा की तरफ की 7.00 बीघा आराजी का वादी भंवरसिंह को खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। यह आराजी प्रति0नं0 8 के खाते से कम हो। साथ ही प्रति0नं0 1 लगा0 9 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादी की कय शुद्धा आराजी ख0नं0 375 की 7.00 बीघा दक्षिण दिशा वाली में बेजा मदाखलत व मजाहमत नहीं करें और आराजी से वादी को गैर कानूनी रूप से बेदखल नहीं करें। बैंक रहन का अंकन प्रति0नं0 8 की शेष आराजी पर ही रहेगा। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 13/11/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar Sindhav
Date: 2019.11.22 12:33:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: